I/निगरानी/छतरपुर/अ5 रा/2017/1857

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

मालती पत्नी काशी राम कुशवाह
निवासी – ग्राम सिंदुरखी
तहसील महाराजपुर जिला
छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

बब्बूबाई पत्नी दीनदयाल कुशवाह
निवासी – ग्राम सिंदुरखी
तहसील महाराजपुर जिला
छतरपुर (म.प्र.)

.......अनावेदक

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़ी मलहरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदक मालती कुशवाह पत्नी काशीराम कुशवाह ग्राम सिंदुरखी में स्थित भूमि खसरा नं. 113/1/1 रकवा 0.345 है0 के भूमि स्वामी एवं अधिपत्य धारी है एवं यह भूमि उसके स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है।
2. यहकि, अनावेदिका द्वारा एक आवेदन पत्र कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल गढी मलहरा के समक्ष भूमि सर्वे क्रमांक 113/1 के अंश भाग 0.039 है0 के संबंध में सीमांकन हेतु प्रस्तुत किया गया था जो कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ–12/2016–17 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 19.05.2017 से सम्पन्न किया गया।
3. यहकि, राजस्व निरीक्षक मण्डल गढी मलहरा द्वारा मेढिया कृषको को अथवा सीमावर्ती कृषको को एवं प्रभावित भूमि स्वामी आवेदिका को सूचना

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/1857 मालती विरूद्ध बब्बूबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक गढ़ी मलहरा के प्रकरण क्रमांक 30/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 19-05-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी गढ़ी मलहरा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी गढ़ी मलहरा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 01/2/19 (आर.के. जैन) सदस्य	